मानव तस्करी पर 10 साल जेल

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बनाया ड्राफ्ट बिल

Poonam.Pandey@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली :** मानव तस्करी (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) के सभी पहलुओं को कवर करते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन) बिल, 2016 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस प्रस्तावित बिल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए 7 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। साथ ही पीड़ित को रिहेबिलिटेशन (पुनर्वास) का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। इस ड्राफ्ट बिल पर अब लोगों की राय ली जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि दिसंबर तक इस बिल को फाइनल कर कैबिनेट के पास भेजने का लक्ष्य रखा गया है।

बनेगी कमिटी : प्रस्तावित बिल के मुताबिक, हर जिले में एंटी ट्रैफिकिंग कमिटी बनाई जाएंगी। जो ट्रैफिकिंग के शिकार लोगों का रेस्क्यू, प्रोटेक्शन, मेडिकल केयर, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस और रिहेबिलिटेशन सुनिश्चित करेगी। स्टेट लेवल पर भी एंटी ट्रैफिकिंग कमिटी बनेगी जो एक्ट का इंप्लीमेंटेशन सुनिश्चत करेगी। एक सेंट्रल एंटी ट्रैफिकिंग अडवाइजरी बोर्ड भी बनाया जाएगा।

NIA की तर्ज पर एजेंसी : तस्करी से जुड़े मामलों की जांच के लिए केंद्र सरकार स्पेशल एजेंसी बनाएगी। मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तर्ज पर ही इस स्पेशल एजेंसी को बनाने की योजना

है। जो इंटर स्टेट और देश के भीतर तस्करी के मामले देखेगी। अधिकारी का कहना है कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बढ़ी संख्या में लड़कियों की ट्रैफिकिंग कर उन्हें पहले भारत और यहां से खाड़ी देशों में भेजा जा रहा है। इसलिए इस बिल पर नेपाल, बांग्लादेश और दूसरे देशों के एनजीओ की भी राय ली जा रही है।

एंटी ट्रैफिकिंग फंड : बिल में यह भी प्रस्ताव है कि सरकार एंटी ट्रैफिकिंग फंड बनाएगी। इस फंड का इस्तेमाल पीड़ित के पुनर्वास के लिए किया जाएगा। पीड़ित के पुनर्वास के लिए हर जिले में स्पेशल होम बनाने की बात भी कही गई है। इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। साथ ही प्लेसमेंट एजेंसी का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन न करने पर तीन साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक फाइन का प्रावधान किया गया है। मेनका गांधी ने कहा कि पीड़ित को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने की पूरी कोशिश की जाएगी।

गैर जमानती अपराध : अगर कोई पीड़ित की पहचान उजागर करता है तो उसे छह महीने जेल हो सकती है। तस्करी के लिए ड्रग्स या अल्कोहल के इस्तेमाल पर 7 से 10 साल तक सजा का प्रावधान है। अगर बच्चे को अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए केमिकल सब्सटेंस या हार्मोन्स देता है तो उसे भी इतनी सजा होगी।

ग्रे एरिया पर दुविधा

क्या वेश्यावृत्ति अपराध की श्रेणी से बाहर हो जाएगा? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। अभी ट्रैफिकिंग के मामलों को 'इमॉरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, 1956' (आईटीपीए) के तहत डील किया जाता है। केंद्रीय मंत्री मेनका ने कहा कि अभी ट्रैफिकर और ट्रैफिक्ड दोनों को मुजरिम मानकर जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन नए एक्ट में तस्करी कर लाए गए शख्स को पीड़ित माना जाएगा। लेकिन अगर किसी महिला को तस्करी के जरिए लाया गया है और वह वेश्यावृत्ति में लगी है तो क्या उसे मुजरिम माना जाएगा या फिर विक्टिम? इस पर मेनका ने कहा कि अभी काम करने की जरूरत है।